

पत्रक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

संख्या 1472 /27- 59 (2008-09) जे0ए0

दिनांक : 30-06-2010

विषय :-

राजेन्द्रा एकेडमी, भीकनपुर, कॉठ रोड, मुरादाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि राजेन्द्रा एकेडमी, भीकनपुर, कॉठ रोड, मुरादाबाद विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से प्राविजनल सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुगम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुगम्य सेवा निवृत्ति का लाभ-उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं पर उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम खलीलपुर अमरू तहसील कॉठ, जिला-मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या 85 की सोसाइटी के नाम कय भूमि 1980 वर्गमीटर तथा इसी गाटा संख्या 85 की सोसाइटी के नाम 30 वर्ष हेतु पंजीकृत लीज पर ली गयी भूमि 5340 वर्गमीटर में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
आयुक्त।

संस्था एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिबन्धित निम्नलिखित को सूचनाार्ण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 - 2- शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
 - 4- जिलाधिकारी मुरादाबाद।
 - 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
 - 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- प्रबंधक, राजेन्द्रा एकेडमी, भीकनपुर, कॉठ रोड, मुरादाबाद।

Self Attested
Principal

Rajendra's Academy
Bhikanpur, Kanth Road
Moradabad

Self Attested
President

Rajendra's Academy
Bhikanpur, Kanth Road
Moradabad

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
आयुक्त।

प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

संख्या 179 / 27- 59 (2008-09) जे0ए0

दिनांक : नवम्बर 19, 2010

विषय :- राजेन्द्रा एकेडमी, भीकनपुर, कौठ रोड, मुरादाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपको संबोधित एवं अन्य को पृष्ठांकित इस कार्यालय के पत्रांक 1472/ 27-59 (2008-09) जे0ए0 दिनांक 30-06-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत राजेन्द्रा एकेडमी, भीकनपुर, कौठ रोड, मुरादाबाद विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से 11 प्रतिबन्धों के अधीन प्रॉविजनल सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान करी गई थी।

उक्त प्रकरण में श्री सत्यवीर सिंह-अध्यक्ष, राजेन्द्रा एकेडमी, भीकनपुर, कौठ रोड, मुरादाबाद द्वारा पत्र दिनांक 03-11-2010 कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें तथ्यों का उल्लेख करते हुये राजेन्द्रा एकेडमी को निर्गत किये गये अनापत्ति पत्र को सत्यापित करते हुये सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में सर्टिफिकेट जारी किये जाने का अनुरोध किया है।

अतः श्री सत्यवीर सिंह-अध्यक्ष, राजेन्द्रा एकेडमी, भीकनपुर, कौठ रोड, मुरादाबाद के उक्त अनुरोध पत्र को दृष्टिगत राजेन्द्रा एकेडमी, भीकनपुर, कौठ रोड, मुरादाबाद के स्थान पर राजेन्द्रा एकेडमी (Rajendra's Academy) पढा जाये। कृपया तदनुसार अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी मुरादाबाद।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- 7- प्रबंधक, राजेन्द्रा एकेडमी (Rajendra's Academy), भीकनपुर, कौठ रोड, मुरादाबाद।

Self Attested

Raj

Principal

Rajendra's Academy
Bhikanpur, Kanth Road
Moradabad

Self Attested

Sanyal

President

Rajendra's Academy
Bhikanpur, Kanth Road
Moradabad

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
आयुक्त।